न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 27/2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. मृतक नारायण पुत्र कानाराम जाति कुमावत निवासी निम्बाज के का0मु0 भंवरलाल पुत्र नारायण के विधिक वारिशान ढगलाराम वगैरा		1. मृतक हिरालाल पुत्र शिवबक्श के कायम मुकाम सोहनलाल पुत्र हिरालाल जाति गंगवाल निवासी सुशील भवन, निम्बाज तहसील जैतारण वगैरा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्ट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित।
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 17 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 3·10·2018

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 250/2018 में पारित आदेश दिनांक 13.06.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। वकील अपीलाण्ट द्वारा आवश्यक सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कारण पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व वास्ते सुनवाई पेश हुई। रेस्पोडेन्ट द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को पैरवी हेतु बार–बार आवाजे लगवाई गई, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। अतः वकील अपीलाण्ट के निवेदन तथा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी संख्या 5177/2018 में पारित आदेश दिनांक 14.08.2018 के अनुक्रम में बहस सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट के पूर्वज नारायण की खातेदारी भूमि थी। जिसके खसरा नम्बर 1677 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा था। दौराने सेटलमेन्ट भू–प्रबन्ध अधिकारीयों द्वारा इस भूमि में से 6 बीघा भूमि कम कर खसरा नम्बर 1282 में मिलाने का आदेश पारित किया, जो उनके अधिकार क्षैत्र से परे था। इसके पश्चात उक्त 6 बीघा भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी में से तो कम कर दी गई, किन्तु पंचायत के नाम दर्ज नहीं की गई। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत निमाज द्वारा उक्त भूमि का पट्टा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 16/उनके पूर्वजों के नाम जारी कर दिया, जिसका ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं था। उक्त पट्टे को निरस्त कराने हेतु अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर पाली में निगरानी याचिका प्रस्तुत की है, जो विचाराधीन है। उक्त तथ्य की रेस्पोडेन्ट को जानकारी होने पर रेस्पोडेन्ट इस भूमि का बेचान हस्तान्तरण करने लगे तथा भूमि के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

भौतिक स्वरूप में परिवर्तन करने लगे। इस पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किए गए इन्द्राज को निरस्त करते हुए भूमि पुनः अपीलाण्ट की खातेदारी में दर्ज कराने का अनुतोष चाहा एवं रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में अन्तरिम व्यादेश पारित नहीं किया एवं न ही हस्तगत प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम व्यादेश पारित किया, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी याचिका प्रस्तुत की एवं माननीय मण्डल द्वारा भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए। चूंकि माननीय मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.09.2018 तक ही प्रभावी थे, इस कारण अब रेस्पोडेन्ट पुनः जैर अपील वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की भौतिक स्थिति में परिवर्तन करने पर आमादा है। यदि रेस्पोडेन्ट को नहीं रोका गया, तो अपीलाण्ट के वाद एवं अपील प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जाएगा एवं न केवल अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी, बल्कि वाद बाहुल्यता भी होगी। अतः रेस्पोडेन्ट्स को जरिये व्यादेश के पाबन्द करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण में जो निर्देश जारी किए गए थे, तद्नुसार प्रकरण को 1 माह के भीतर निस्तारण किया जाना था। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 4/1, 6/1, 9/1/1, 10/1, 14/1/1 तथा 16 की ओर से नियुक्त अधिवक्ता प्रकरण में पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हुए तथा शेष पक्षकारान् सम्यक् तामील के बावजूद भी प्रकरण में पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हुए, अतः रेस्पोडेन्ट्स की हद तक प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। प्रकरण की परिस्थिति को देखा जाए तो यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा जो तथ्य प्रकट किए गए है, उनके अनुसार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व रेकर्ड में तथाकथित त्रुटी को लेकर सम्पूर्ण प्रकरण की पृष्ठभूमि तैयार होना प्रतीत होता है। हालांकि यह पृथक विषय है कि वास्तविक रूप से भू–प्रबन्ध द्वारा जो इन्द्राजात तहरीर किए गए, वे वास्तविक तथ्यों से किस रूप में भिन्न थे ? एवं भिन्न थे भी अथवा नहीं ? इन तथ्यों का निर्धारण मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चित होने पर ही संभव होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अन्तरिम स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है एवं मूल प्रार्थना पत्र निर्णय से शेष है, तो इस स्थिति में हस्तगत आदेश पूर्ण रूपेण केस डिसाईडेड की श्रेणी में नहीं आता है। तद्नुसार इस प्रकार के आदेश के विरूद्ध अपील संधारण योग्य नहीं होने से इस स्तर पर ही खारिज़ योग्य है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा निगरानी संख्या 5177/2018 में दिनांक 14.08.2018 को इसी प्रकार के निर्देश पारित किए गए थे, उसी अनुक्रम में न्यायहित में हम यह निर्देश दिया जाना उचित समझतें हैं कि उपखण्ड अधिकारी जैतारण दोनों पक्षों को सुनकर विधि अनुसार कार्यवाही कर दो माह के भीतर प्रकरण पर यथोचित निर्णय पारित करें, तब तक अपीलाण्ट द्वारा जिस 6 बीघा भूमि को भू–प्रबन्ध पूर्व अपनी खातेदारी तथा भू–प्रबन्ध द्वारा आबादी भूमि में शामिल कर लिया जाना कथित किया है एवं उसे भू–प्रबन्ध द्वारा खसरा नम्बर 1282 में मिला दिया जाना कथित किया गया है, उसके संदर्भ में उभयपक्ष विवादित आराजी के Status quo maintain करें। इस आदेश की प्रति

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अधीनस्थ न्यायालय एवं तहसीलदार जैतारण को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। दो माह पश्चात उक्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जावेगा। उपरोक्त विवेचन के अनुसार उपरोक्त निर्देश के साथ यह अपील अन्तरिम व्यादेश के विरूद्ध पोषणीय नहीं होने से खारिज़ की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 3.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली